

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(Green Fild)2018/बूंदी रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

## वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला बूंदी/सवाईमाधोपुर एवं वनमण्डल बूंदी/(वन्यजीव), सवाईमाधोपुर में Development of 8 lanes (Greenfield Highway) from itawa (Ch. km 284.000) to after Chambal River near Durjanpura village at (Ch. km 349.000) section of NH-148 N (Total length 65.0 km) (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/36605/2018) के निर्माण हेतु 17.398 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/21/2020/एफसी/808 दिनांक 11.08.2020 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्याधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।



(श्रुति शर्मा),  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),  
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक: एफ 14(Green Fild)2018/बूंदी रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1107-27

दिनांक 7.4.21

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
8. उप वन संरक्षक, बूंदी एवं उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सवाईमाधोपुर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
9. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सवाईमाधोपुर।
10. रक्षी पत्रावली।



(वेण्कटेश शर्मा)  
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नॉडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

*Prasanna*  
*2021/7/4/2021*